न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री पंकज शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
141/2013	18-12-2013	28-02-2018

अनवान

डालु पिता श्री लहरू जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

वादी

बनाम

1. श्री सरीकिशन पिता श्री भैरा जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
2. मु0 देऊ बेवा श्री मांगू जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
3. श्री नारायण पिता श्री लहरू जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
4. मु0 दाखी बेवा श्री लहरू जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
5. मु0 शंकरी बेवा श्री देवा जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
6. मु0 गणी बेवा श्री किशन जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
7. श्री सुनिल पिता श्री किशन जाति माली उम्र नाबालिग जरिये माता मु0 गणी बेवा श्री किशन जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
8. श्री लकी पिता श्री किशन जाति माली उम्र नाबालिग जरिये माता मु0 गणी बेवा श्री किशन जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
9. श्री दिलीप पिता श्री देवा जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
10. श्री रोशन पिता श्री देवा जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
11. श्री हीरालाल पिता श्री देवा जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
12. श्री अमरा पिता श्री मेगा जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
13. श्री भोलीराम पिता श्री तलोक जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
14. श्री रतनलाल पिता श्री तलोक जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
15. श्री श्यामलाल पिता श्री तलोक जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
16. श्री लादी पिता श्री तलोक जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
17. श्री नाती पिता श्री तलोक जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त सभी निवासीयान ग्राम राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

18. श्रीमान् तहसीलदार साहब, लैण्ड लॉर्ड तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता श्री गोवर्धनसिंह गिलूण्डिया वादी।
एक तरफा प्रतिवादी।

-:: वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0टिनेन्सी एक्ट ::-

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के बाबत् विभाजन आराजीयात के पेश कर निवेदन किया है कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार वादीया तथा प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि बेरून हल्के आबादी मौजा ग्राम राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ कमे खाता संख्या 568 में खसरा नम्बर 1670 रकबा 2-18 बीघा लगानी 1.45 रूपया आराजी संख्या 1671 रकबा 1-18 बीघा लगानी 0.95 रूपया कुल किता 2 कुल रकबा 4-16 बीधा स्थित हैं जिसमें वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 से 12 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 13 से 17 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड अनुसार दीगर प्रतिवादीगण का अंकित है। ताईद में जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 की सत्य प्रतिलिपि पेश है। वादी तथा प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड में खाता एवं लगानबंदी शामलाती होने के कारण उन्हे बैंक से लोन लेने लगान अदा करने अपने हिस्से की भूमि का समुचित विकास करने में कई प्रकार की परेशानियॉ का

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सामना करना पडता है जिस किया राजस्व रेकार्ड में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 17 का खाता तथा लगानबंदी अलग अलग की जाकर नक्शा ट्रेस में उक्तानुसार अंकन किया जाना न्यायोचित है। यह कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के से 17 को दिनांक 03.10.2013 को उक्तानुसार विधिवत बंटवाडा हेतु कहा तो वह ऐसा करने से ईन्कार हो गये। अतः बिनाय दावा दिनांक 03.10.2013 को पैदा हुई जो इसके बाद निरन्तर हर रोज जारी है। अतः वादी की सविनय प्रार्थना है कि वाद अनुसार बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बंटवाडा की आज्ञप्ति जारी फरमाई जाकर वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2–3 का खाता संयुक्त रखाते हुए दिगर प्रतिवादीगण का एवं हमारा राजस्व रेकार्ड में खाता तथा लगानबंदी अलग अलग की जाकर नक्शा ट्रेस में उक्तानुसार अंकन कराया जावें।

इस पर वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों का जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 14.07.2015 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 के तहत पत्रावली को कैम्प कॉर्ट में रखा गया। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति राजीनामे के आधार पर वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर हक हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवाडा किये जाने बाबत् तहसीलदार राशमी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार राशमी द्वारा

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी, चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपने पत्रांक/राजस्व/2016/173 दिनांक जुलाई 2016 से बंटवाडा रिपोर्ट प्रेषित की गई जो रिकार्ड पर दिनांक 16.11.2017 को ली गई। दिनांक 21.02.2018 को अधिवक्ता वादी द्वारा बहस रिपोर्ट की गई। जिसे एक तरफा सुना गया। अधिवक्ता वादी ने दिनांक 21.02.2018 को अंतिम डिक्री हेतु कॉर्ट फीस पेश की जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता वादी द्वारा अंतिम डिक्री जारी किये जाने की ईश्तदुआ की गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में मौका कमिश्नर तहसीलदार राशमी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते पृथक-पृथक किये जाकर लगानबंदी अलग किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस समाप्त की। पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। सुनी गई मजिज बहस पत्रावली का मनन किया गया। तहसीलदार राशमी द्वारा तैयार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है अतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता हैं एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा राशमी पटवार हल्का राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 1671मी0 रकबा 1-12 बीघा लगानी 0.80 रूपया कुल किता 1 कुल रकबा 1-12 बीघा कुल लगानी 0.80 रूपया का सरीकिशन पिता भैरा 1/3 मु0 देऊ बेवा मांगु 1/3 नारायण डालु पिता लहरू दाखी बेवा लहरू 1/3 माली सा0देह, आराजी संख्या 1670/1 रकबा 1-06 बीघा लगानी 0.65 रूपया आराजी संख्या 1671/1 रकबा 0-06 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 1-12 बीघा कुल

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लगानी 0.80 रूपया का सुनील लकी पिता किशनलाल गणी बेवा किशनलाल 1/10 दिलीप रोशनलाल हीरालाल पिता देवा शंकरी बेवा देवा 2/5 अमरा पिता मेगा 1/2 माली सा0देह, आराजी संख्या 1670मी0 रकबा 1-12 बीघा लगानी 0.80 रूपया कुल किता 1 कुल रकबा 1-12 बीघा कुल लगानी 0.80 रूपया का भोलीराम रतनलाल श्यामलाल लादी नाथी पिता तलोक माली सा0देह को तन्हॉ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। वकील वादी ने अंतिम डिक्री हेतु कॉर्ट फीस पेश की हैं जो शामिल पत्रावली रहें। तद्नुसार पर्चा अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद किता शुमारी दाखिल दफ्तर रहें।

यह निर्णय आज दिनांक **28.02.2018** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अंतिम डिक्री मुकदमा इबताई
(रूल्स 18-21)

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

डालु पिता श्री लहरू जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

वादी

बनाम

1. श्री सरीकिशन पिता श्री भैरा जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
2. मु0 देऊ बेवा श्री मांगू जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
3. श्री नारायण पिता श्री लहरू जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
4. मु0 दाखी बेवा श्री लहरू जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
5. मु0 शंकरी बेवा श्री देवा जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
6. मु0 गणी बेवा श्री किश.ज जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
7. श्री सुनिल पिता श्री किशन जाति माली उम्र नाबालिग जरिये माता मु0 गणी बेवा श्री किशन जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
8. श्री लकी पिता श्री किशन जाति माली उम्र नाबालिग जरिये माता मु0 गणी बेवा श्री किशन जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
9. श्री दिलीप पिता श्री देवा जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
10. श्री रोशन पिता श्री देवा जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
11. श्री हीरालाल पिता श्री देवा जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
12. श्री अमरा पिता श्री मेगा जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
13. श्री भोलीराम पिता श्री तलोक जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
14. श्री रतनलाल पिता श्री तलोक जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
15. श्री श्यामलाल पिता श्री तलोक जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
16. श्री लादी पिता श्री तलोक जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
17. श्री नाती पिता श्री तलोक जाति माली उम्र वयस्क पेशा काश्त।
    उक्त सभी निवासीयान ग्राम राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
18. श्रीमान् तहसीलदार साहब, लैण्ड लॉर्ड तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता श्री गोवर्धनसिंह गिलूण्डिया — वादी।
एक तरफा — प्रतिवादी।

-:: वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0टिनेन्सी एक्ट ::-

प्रकरण संख्या :- 141/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रूबरू श्री जीएस गिलूण्डिया वकील वादी एवं एक तरफा प्रतिवादी की उपस्थिति में मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता हैं एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी, चित्तौड़गढ़

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राशमी पटवार हल्का राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 1671मी0 रकबा 1-12 बीघा लगानी 0.80 रूपया कुल किता 1 कुल रकबा 1-12 बीघा कुल लगानी 0.80 रूपया का सरीकिशन पिता भैरा 1/3 मु0 देऊ बेवा मांगु 1/3 नारायण डालु पिता लहरू दाखी बेवा लहरू 1/3 माली सा0देह, आराजी संख्या 1670/1 रकबा 1-06 बीघा लगानी 0.65 रूपया आराजी संख्या 1671/1 रकबा 0-06 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 1-12 बीघा कुल लगानी 0.80 रूपया का सुनील लकी पिता किशनलाल गणी बेवा किशनलाल 1/10 दिलीप रोशनलाल हीरालाल पिता देवा शंकरी बेवा देवा 2/5 अमरा पिता मेगा 1/2 माली सा0देह, आराजी संख्या 1670मी0 रकबा 1-12 बीघा लगानी 0.80 रूपया कुल किता 1 कुल रकबा 1-12 बीघा कुल लगानी 0.80 रूपया का भोलीराम रतनलाल श्यामलाल लादी नाथी पिता तलोक माली सा0देह को तन्हॉ खातेदार काश्तकारघोषित किया जाता है, तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। पर्चा अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयत	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official